

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 387]	दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 1, 2017/कार्तिक 10, 1939	[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 303
No. 387]	DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 2017/KARTIKA 10, 1939	[N.C.T.D. No. 303

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

व्यापार एवं कर विभाग

(जी .एस.टी.-नीति शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2017

राज्य कर

(केंद्र की अधिसूचना संख्या 37/2017 के संदर्भ में )

सं. फा. 2(3)/ नीति - जीएस.टी ./2017/998-1009.—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 54 और दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 96क के उपनियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त,राज्य कर (दिल्ली), किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसका आशय एकीकृत कर का संदाय किए बिना निर्यात के लिए माल या सेवाओं के प्रदाय का है, बंधपत्र के स्थान पर परिवचन पत्र देने के लिए शर्तें और रक्षोपाय विनिर्दिष्ट करते हैं —

- (i) ऐसे मामलो में, जहां अपवंचित कर की रकम दौ सौ पचास लाख रुपए से अधिक है, तथा जिन्हें दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) या किसी प्रवृत्त विद्यमान विधि के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित किया गया है, उन व्यक्तियों के सिवाय, ऐसे सभी व्यक्ति, जिनका आशय

एकीकृत कर का संदाय किए बिना निर्यात के लिए माल या सेवाओं के प्रदाय का है, बंधपत्र के स्थान पर परिवचन पत्र देने के पात्र होंगे;

- (ii) किसी वित्तीय वर्ष के लिए, परिवचन पत्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के शीर्षनामे पर, दो प्रतियों में, दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 96 क के उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप जीएसटी आरएफडी-11 के उपाबंध में दिया जाएगा और यह कार्यरत भागीदार, प्रबंध निदेशक या कंपनी सचिव या स्वत्वधारी द्वारा या ऐसे कार्यरत भागीदार या ऐसी कंपनी के निदेशक बोर्ड या स्वत्वधारी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाएगा;
  - (iii) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 96क के उपनियम (1) के खंड (क) और खंड (ख) में उल्लिखित अवधि के भीतर, उक्त उपनियम (1) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट ब्याज सहित देय कर का संदाय करने में असफल रहता है तो परिवचन पत्र विधिमान्य नहीं रहेगा और यह ऐसे कर और ब्याज का संदाय के पश्चात् फिर से विधिमान्य होगा।
2. इस अधिसूचना के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तनों, सहित किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन इकाई भी है) द्वारा किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन इकाई को एकीकृत कर का संदाय किए बिना किए गए माल या सेवाओं या दोनों के जीरो रेटेड प्रदाय के संबंध में लागू होंगे।
  3. यह अधिसूचना दिनांक 4 अक्टूबर, 2017 से प्रभावी होगी।

एच .राजेश प्रसाद, आयुक्त राज्य कर

## DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

(GST-POLICY BRANCH)

### NOTIFICATION

Delhi, the 31st October, 2017

#### State-Tax

(Reference GOI notification no. 37/2017 Central Tax)

**No.F.2 (3)/Policy-GST/2017/998-1009.**—In exercise of the powers conferred by section 54 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), and sub-rule (5) of rule 96 A of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, the Commissioner, State Tax, (Delhi) hereby specifies conditions and safeguards for furnishing a Letter of Undertaking in place of a Bond by a registered person who intends to supply goods or services for export without payment of integrated tax -

(i) all registered persons who intend to supply goods or services for export without payment of integrated tax shall be eligible to furnish a Letter of Undertaking in place of a bond except those who have been prosecuted for any offence under the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017) or the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) or any of the existing laws in force in a case where the amount of tax evaded exceeds two hundred and fifty lakh rupees;

(ii) the Letter of Undertaking shall be furnished on the letterhead of the registered person, in duplicate, for a financial year in the annexure to FORM GST RFD – 11 referred to in sub-rule (1) of rule 96A of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 and it shall be executed by the working

- partner, the Managing Director or the Company Secretary or the proprietor or by a person duly authorised by such working partner or Board of Directors of such company or proprietor;
- (iii) the Letter of Undertaking shall cease to be valid if the registered person fails to pay the tax due along with interest, as specified under sub-rule (1) of rule 96A of Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, within the period mentioned in clause (a) and clause (b) of the said sub-rule and it shall resume being valid after such tax and interest is paid.
2. The provisions of this notification shall *mutatis mutandis* apply in respect of zero-rated supply of goods or services or both made by a registered person (including a Special Economic Zone developer or Special Economic Zone unit) to a Special Economic Zone developer or Special Economic Zone unit without payment of integrated tax.
3. This notification shall come into force with effect from the 4<sup>th</sup> day of October, 2017.

H. RAJESH PRASAD, Commissioner, State Tax